

4-74

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
अकोना पत्र	330 2021	30-12-21	कोसोरिया			

अनवान

श्री याकण्ड सिंह पिता त्रधुनाथ सिंह बनाम श्री राज० सरकार जॉरिचे रजर बनेड़ा
राजपूत निवासी कोसोरिया



निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेसपो.

प्रकार्ये रिपोर्ट पटवारी-व भू.अ.नि. क्षेत्र 338

महोदयजी
निवेदन है कि प्राचीन गाँव कार्ये रिपोर्ट की जासकी है. 2018 के 2019 के साल 338
के साल पुन रपुनाय जिं है कि है। सुकत भापर कर्मने के साल जिं है पुन
रपुनाय जिं है कि है। भापर कर्मने के भापर कर्मने के साल जिं है पुन
दिनांक 01/11/2021

रिपोर्ट पटवारी / नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार / नायब तहसीलदार
01/11/2021

01/11/2021
[Signature]

Report पटवारी एवं जांच 12 अनुसार, अंत सुद्ध किया
जाना उचित है।
01/11/21

आदेश
नायब तहसीलदार रिपोर्ट अंत सुद्ध किया
जाया जाये।

रिपोर प्रमारी
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
अभियान 2021
उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, [redacted] जिला [redacted]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प [redacted]

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी [redacted] व भू.अ.नि. [redacted] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [redacted] /नायब तहसीलदार [redacted] की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम [redacted] तहसील [redacted] व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2074-77 में खाता संख्या 338 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	[redacted]	338	पावड पिता रघुनाथ सिंह	पावड सिंह पिता रघुनाथ सिंह

शिविर प्रभारी
पीठासीन अधिकारी बनेड़ा
प्रशासन गाँवों के संग
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक: 30/390/21
प्रतिलिपि :- 30/12-21

दिनांक :- 11/11/21

1. तहसीलदार [redacted] को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री [redacted] को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रभारी
पीठासीन अधिकारी बनेड़ा
उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत
प्रशासन गाँवों के संग
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,